REGD. NO. D. L.-33004/99



असाधारण EXTRAORDINARY भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii) प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 663]नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 14, 2014/फाल्गुन 23, 1935No. 663]NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 14, 2014/PHALGUNA 23, 1935

## सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 14 मार्च, 2014

**का.आ. 776(अ).**—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के पूर्ववर्ती पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग) की भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II खंड 3 उप-खंड (ii) में प्रकाशित अधिसूचना सं. का.आ. 1096 (अ), तारीख 4 अगस्त, 2005 में एतद्द्वारा और निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना की सारणी में, कॉलम 2 में क्रम सं. 6 के सामने "और 17बी" शब्द, अंक और अक्षर के लिए ''और राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 17बी [किमी 19.5 से किमी 40.00 (वेरना-मुरमागांव पत्तन खंड) को छोड़कर]'' शब्द, अंक और अक्षर प्रतिस्थापित किए जाएंगे ।

[फा. सं. एनएच-14013/2/2010-पी एंड एम]

माया प्रकाश, उप सचिव

- टिप्पण : (i) मूल अधिसूचना संख्या का.आ. 1096(अ), तारीख 4 अगस्त, 2005 के तहत प्रकाशित की गई थी।
  - (ii) गोवा राज्य के संबंध में मूल अधिसूचना, अधिसूचना संख्या का. आ. 1035(अ) तारीख 07.05.2010, का. आ. 1053(अ) तारीख 11.05.2012 और का. आ. 2793(अ) तारीख 16.09.2013 के तहत संशोधित किया गया था।

(iii) मूल अधिसूचना में पिछली बार संशोधन अधिसूचना संख्या का. आ. 264(अ) तारीख
 27 जनवरी, 2014 के तहत किया गया था ।

## MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS CORRIGENDUM

New Delhi, the 14th March, 2014

**S.O.** 776(E).—In exercise of the powers conferred by section 5 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Shipping, Road Transport and Highways (Department of Road Transport and Highways), number S.O. 1096(E), dated the 4<sup>th</sup> August, 2005, namely:—

In the Schedule to the said notification, against serial number 6, in column 2 for the word, figures and letters "and 17B", the words, figures and letters " and National Highway No. 17B [excluding from km. 19.5 to km. 40.00 (Verna-Mormugao port section)] " shall be substituted.

[F. No. NH-14013/2/2010-P&M]

MAYA PRAKASH, Dy. Secy.

Note:— (i) The principal notification was published vide number S.O.1096 (E), dated the 4<sup>th</sup> August, 2005.

- (ii) The principal notification in respect of State of Goa was amended vide notification number
  S.O. 1035(E) dated 07.05.2010, S.O. 1053(E) dated 11.05.2012 and S.O. 2793(E) dated 16.09.2013.
- (iii) The principal notification was last amended vide number S.O. 264 (E), dated the 27<sup>th</sup> January, 2014.